P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-I **Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory** **Unit -1**

प्रश्न - विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है

उत्तर – हालैण्ड के मतानुसार, "विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है।"

औपचारिक (Formal) — हालैण्ड के अनुसार, "विधिशास्त्र औपचारिक या विश्लेषणात्मक विज्ञान है न कि भौतिक ।" यह विभिन्न देशों के विधान का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह उन विधानों के रूप या बाह्य आकार मात्र का अध्ययन करता है। वास्तव में, यह विभिन्न देशों के विधानों के पीछे छिपे हुए बुनियादी विचारों या सिद्धान्तों का अध्ययन करता है। औपचारिकता से हालैण्ड का अभिप्राय यह नहीं है कि विधिशास्त्र ऐसे कानून का अध्ययन करता है जो कि विभिन्न देशों के विधानों में उभयनिष्ठ (common) होता है बल्कि यह उन विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करता है जो कि वैधानिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। अत: हालैण्ड के अनुसार, उन वैधानिक नियमों का भौतिक विज्ञान नहीं है जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समान रूप से मौजूद हैं।

वरन् यह मानव जाति के विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला औपचारिक विज्ञान है, जिनका वैधानिक परिणाम होता है।" इसी कारण हालैण्ड के विचार में विधिशास्त्र औपचारिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं।

विज्ञान (Science) - हालैण्ड के मतानुसार, विधिशास्त्र विज्ञान है कला नहीं विज्ञान का तात्पर्य है किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध ज्ञान विधिशास्त्र को विज्ञान इसलिए कहा जाता है, क्योंकि विधिशास्त्र एक सुव्यवस्थित ज्ञान की शाखा के अन्तर्गत विभिन्न देशों के विधानों के आदर्शों, सिद्धान्त एवं धारणाओं को अपने अन्तर्गत शामिल करता है।

सुस्पष्ट विधि (Positive Law) — हालैण्ड का सुस्पष्ट विधि से अभिप्राय उस विधि से है जो राज्य के सर्वसत्ता सम्पन्न राजनीति प्रधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के कार्यों को संचालित करने के लिए लागू की जाती हैं। यहाँ पर हालैण्ड तथा आस्टिन के विचार मिलते-जुलते हैं दोनों ही विधिशास्त्री विधिशास्त्र की विषय सामग्री को सुस्पष्ट विधि ही बताते हैं, परन्तु आस्टिन की परिभाषा से हालैण्ड की परिभाषा केवल इस अर्थ में भिन्न है कि हालैण्ड ने विधिशास्त्र को सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान कहा है जबकि आस्टिन ने विधिशास्त्र को सिर्फ विज्ञान ही कहा है।

आलोचना (Criticism)- हालैण्ड की इस परिभाषा की बहुत ही आलोचना की गयी है। हालैण्ड की परिभाषा में आए औपचारिक शब्द की विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की है। प्रो. ग्रे ने औपचारिक शब्द के कारण हालैण्ड की परिभाषा को संकीर्ण एवं अस्पष्ट बताया है। ग्रे का कहना है कि विधिशास्त्र उतना ही औपचारिक विज्ञान है जितना कि शरीरशास्त्र । जिस प्रकार माँस-पेशियाँ, अस्थियाँ तथा स्नायु शरीरशास्त्र के अध्यन के विषय होते हैं ठीक उसी प्रकार लोगों पर नियन्त्रण तथा तज्जनित घटनाएँ विधिशास्त्र की विषय-सामग्री होती हैं। जिस तरह शरीरशास्त्र हड्डियों आदि का विवेचन करता है ठीक उसी प्रकार विधिशास्त्र विधान का। ग्रे महोदय आगे कहते हैं कि यह कहना कि विधिशास्त्र औपचारिक विज्ञान है, इसका अभिप्राय यह होगा कि विधिशास्त्र केवल इसी पर निर्भर है कि इसमें किस विधान का अध्ययन किया जाता है, इस पर नहीं कि विधान का वर्णन कैसे किया जाता है ? उनका कहना है कि विधिशास्त्र एवं विधान का वास्तविक सम्बन्ध इस बात पर

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

निर्भर नहीं करता है कि किस विधान का इसमें वर्णन किया जाता है, वरन् इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें विधान का वर्णन कैसे किया जाता है ?

डॉक्टर एडवर्ड जैंक्स ने भी औपचारिक शब्द पर हालैण्ड की परिभाषा की कटु आलोचना की है। डॉक्टर जैंक्स का कहना है कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हालैण्ड ने विधिशास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है, विषय पर नहीं। उनका कहना है कि "यह सत्य है कि विधिशास्त्री विधि को उसके आकार से ही समझते हैं" और विधि के आकार से ही बुनियादी नियमों के विषय की तह में मौजूद पतों को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं, परन्तु जब किसी विधिशास्त्री को ऑपरेशन करने की मेज पर रखा हुआ विधि का आकार मिलता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि यह इसकी चीरा-फाड़ी करे और इसके वास्तविक अर्थ को. समझे। इस प्रकार डॉ. जैक्स आलोचना करते हुए कहते हैं कि, "विधिशास्त्र को सहज आकार से ही सम्बन्धित मानना उसे विज्ञान के ओहदे से गिराकर एक मामूली कारीगरी के दर्जे पर ला देना है।"

प्रो. प्लैट का कहना है कि, "जब तक विधानों, नियन्त्रणों एवं उन तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता जिनके अन्तर्गत विधि का निर्माण किया गया है तब तक विधि को पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता। इतना ही नहीं वरन् विधिशास्त्र के मुख्य विषयों का ढाँचा भी नहीं खड़ा किया जा सकता। विधान को सारी विषय-सामग्री से अलग स्वामित्व या संविदा तक के ही सामान्य सिद्धान्तों को बनाने का प्रयत्न करना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार ईंधन के बिना ही नहीं वरन् मिट्टी के ही बिना ईंटों को बनाने का प्रयत्न करना।"

प्रो. एडम्सन का कहना कि, “आकार तथा औपचारिक सम्बन्ध किसी भी रूप में इतने आसान और इतने सुस्पष्ट नहीं हैं कि उनकी मदद से कोई दार्शनिक क्रमबद्धता जैसी समस्याओं को हल कर सकें।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि हालैण्ड के आलोचकों ने सही-सही अर्थ नहीं लगाया। वस्तुतः हालैण्ड का औपचारिक विज्ञान से अभिप्राय यह था कि विधिशास्त्र केवल वैधानिक प्रणाली के उद्देश्यों, पद्धतियों तथा विचारों का अध्ययन करता है, वैधानिक प्रणाली के स्थूल तथ्यों का नहीं। अगर हम अन्य आलोचकों के इस मत को मान लें कि विधिशास्त्र औपचारिक नहीं बल्कि स्थूल विज्ञान है तो हम निस्सन्देह सत्य से विमुख हो जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बढ़े एवं घटे हुए मूल्यों के आँकड़े इकट्ठे करके एक जगह पर रख देता है तो उन स्थूल तथ्यों (concrete facts) के इकट्ठा हो जाने को अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्र की रचना तो उस वक्त होगी जब इन स्थूल तथ्यों से कुछ औपचारिक सिद्धान्त निकाल कर एकत्रित किये जायें जिनसे यह ज्ञात हो सके कि वस्तु के मूल्यों में उतार-चढ़ाव किस प्रकार होता है। इस तरह । विधिशास्त्र भी वैधानिक प्रणाली के ऐसे ही औपचारिक सिद्धान्तों का अध्ययन करता है, उन सिद्धान्तों की रचना करने वाले तथ्यों का नहीं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-1 Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory Unit -1

प्रश्न -2 विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए उनकी प्रकृति एवं अध्ययन के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए

उत्तर – विधिशास्त्र की परिभाषा– विधिशास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों Juris एवं Prudentia से हुई है। Juris का अर्थ है विधि (Law) तथा Prudentia का अर्थ है ज्ञान (Knowledge) I इस प्रकार Juris prudentia का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि. विधिशास्त्र का शाब्दिक अर्थ विधि के ज्ञान से है। इसे विधि का पर्यायवाची शब्द माना जाता है जैसे किंहम मेडिकल विधिशास्त्र, म्युनिसिपल विधिशास्त्र, हिन्दू विधिशास्त्र कहते हैं। विधिशास्त्र शब्द रोम के रहने वाले लोगों की भाषा से उत्पन्न ही नहीं होता है, वरन् विधिशास्त्र को एक ऊँचे धरातल पर ले जाने का श्रेय, जिससे कि यह एक विधि विज्ञान माना जाने लगा, भी रोम के रहने वालों को ही है।

रोम के विख्यात विधिवेत्ता आल्पियन (Ulpian) की प्रसिद्ध विधिशास्त्र की परिभाषा जिसका कि अर्थ है, "दैवी और मानवीय वस्तुओं का ज्ञान, उति एवं अनुचित का विज्ञान" रोमन सभ्यता के प्रारम्भ में मानी जाती थी। बाद के रोमन विधियों ने **जस नैचुरल** (Jus natural) एक विश्वव्यापी संहिता निकाली जिससे कि सभी शाखाएँ निकलती हैं या सभी सम्बन्धित हैं और जो विश्वव्यापी उपयोग के नियम हैं। इस प्रकार विधिशास्त्र एक विधि का विज्ञान है जो सिद्धान्तों के सार से सम्बन्धित है। हालैण्ड ने इसे सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान कह कर परिभाषित किया है। यह औपचारिक विज्ञान मानव जाति के सम्बन्धों का है जिन्हें साधारणतः विधिक परिणाम माना जाता है। ऐलन ने विधिशास्त्र को विधि के आवश्यक सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण बताया है।

मोऐल के अनुसार, "विधिशास्त्र का अन्त साधारणतः वही है जो दूसरे विज्ञानों का है अर्थात् एक पूर्ण ज्ञान।"

विचारों की प्रगति के साथ-साथ विधि शास्त्रियों ने विधिशास्त्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है।

पैटन के अनुसार, "विधिशास्त्र विधि का अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है।"

हालैण्ड के अनुसार, "विधिशास्त्र मौजूदा कानून का औपचारिक विज्ञान है।"

ऐलन के अनुसार, यह कानून के परमावश्यक सिद्धान्तों का संश्लेषण है।"

सिसरो ने विधिशास्त्र को विधि ज्ञान के तात्विक पक्ष के रूप में परिभाषित किया है।

प्रो. ग्रे. के अनुसार, "विधिशास्त्र कानून का विज्ञान है और इसमें न्यायालयों में अमल में लाये जाने वाले कानून-कायदे और उसके बुनियादी उसूलों का अध्ययन किया जाता है।

जी. सी. ली. के अनुसार, "विधिशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उन मौलिक सिद्धान्तों को अभिनिश्चित करने का प्रयत्न करता है जिनकी अभिव्यक्ति विधि है।"

ग्रो. कीटन ने विधिशास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान मात्र माना है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

पॉल विनोग्रेडोफ के अनुसार, "सरल नियम एवं निश्चित विधि के भाग जो प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में भिन्नता प्रकट करते हैं, के मुकाबले में अध्ययन से विधि विज्ञान का उदय होता है। यह विधिशास्त्र उन सामान्य सिद्धान्तों के उद्देश्यों की खोज करता है जो अधिनियमों तथा अदालती निर्णयों में पाये जाते हैं। "

सामण्ड-सामण्ड महोदय ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि, "विधिशास्त्र नागरिक कानून विज्ञान है।" विज्ञान से अभिप्राय है-सुव्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध ज्ञान सीमित अर्थ में हम भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। ये विज्ञान इतिहास, अर्थशास्त्र नागरिकशास्त्र आदि से भिन्न हैं जिन्हें हम कला कहते हैं, परन्तु कोई भी ज्ञान का आधार यदि वर्गीकरण में हो, उसका विश्लेषण हुआ हो जिससे कि वह विज्ञान विधिपूर्वक एक शिखर पर पहुँचा हो ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है।

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश (Oxford Dictionary) में विधिशास्त्र की परिभाषा विधि के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान' या 'मानवीय विधि के विज्ञान' के रूप में दी गयी है।

उपर्युक्त परिभाषाओं में दो बातें ऐसी हैं जो सभी परिभाषाओं में पायी जाती हैं। पहली यह कि सभी विधिशास्त्रियों का मत है कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है यद्यपि विधि का क्या अर्थ है इसके बारे में सभी में मतभेद है। दूसरी यह कि विधिशास्त्र स्वयं कानून का विज्ञान नहीं है, वरन् कानून के बुनियादी उसूलों का विज्ञान है। अतः विधिशास्त्र के अधीन विधि के मूर्त उपबन्धों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अधीन अमूर्त सिद्धान्तों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।

विधिशास्त्र का क्षेत्र-विधिशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विधिशास्त्रियों में बहुत मतभेद हैं कुछ का कहना यह है कि विधिशास्त्र के अन्तर्गत प्राकृतिक विधान के साथ-साथ नैतिकता भी आती है इससे विधिशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। कुछ विधिशास्त्रियों ने विधिशास्त्र के विषय में अपने मत व्यक्त करते हुए कहा है कि, "विधिशास्त्र के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधान भी सम्मिलित है।" केलसन ने विधिशास्त्र को नीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र से अलग रखा है। विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थकों ने इस विषय का अध्ययन विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र तक हो सीमित रखा है। डीन रास्को पाउण्ड के मतानुसार विधिशास्त्र का क्षेत्र निर्णयों के सन्दर्भ में विधि को अध्ययन करता है। अल्पियन ने विधिशास्त्र को उचित-अनुचित का विज्ञान तथा मानवीय एवं दैवीय वस्तुओं का ज्ञान कहा है तथा बोले ने विधिशास्त्र की परिभाषा न्यायिक विज्ञान कहकर दी है।

यदि विधिशास्त्र के क्षेत्र में यह सारी बातें मान ली जायें तो विधिशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तो अवश्य हो जायेगा, परन्तु निश्चित नहीं रहेगा। इसके अधीन राजकीय विधि तथा नैतिक नियमों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। आस्टिन तथा उनकी विचारधारा वाले विद्वानों ने विधिशास्त्र की विषय-सामग्री को केवल निश्चयात्मक विधि ही माना है। उनके अनुसार, नैतिकता विधि से अलग है। इस मत के अनुसार, "विधिशास्त्र का विधि की अच्छाई या बुराई या व्यक्तिगत विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसका सम्बन्ध मात्र राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। आस्टिन ने स्वयं लिखा है कि, "विधिशास्त्र को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी आदर्श के आधार पर विधियों की अच्छाई एवं बुराई निर्धारित करे।"

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सामण्ड महोदय ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि, "विधिशास्त्र नागरिक कानून का विज्ञान है।" विज्ञान से अभिप्राय है-सुव्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध ज्ञान सीमित अर्थ में हम भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। ये

विज्ञान इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र आदि से भिन्न हैं, जिन्हें हम कला कहते हैं; परन्तु कोई भी ज्ञान का आधार यदि वर्गीकरण में है, उसका विश्लेषण हुआ हो जिससे कि वह विज्ञान विधिपूर्वक एक शिखर पर पहुँचा हो, ऐसा ज्ञान-विज्ञान कहलाता है।

विज्ञान एवं कला मुख्यतः अपने उद्देश्य में भिन्नता रखते हैं। मिल के शब्दों में, "Science takes cognizance of a phenomenon and endeavours to as certain its law, art purposes to itself an end looks out for means to effect it."

नागरिक कानून (Civil Law) – सामण्ड के शब्दों में नागरिक कानून का तात्पर्य एक देश का विधान है। ऐसा विधान नागरिक कानून इसलिए कहलाता है कि उसका निर्माण राज्य द्वारा होता है। इसका नामकरण रोम के Jus civile से हुआ है।

सामण्ड ने विधिशास्त्र की परिभाषा विज्ञान के रूप में करते समय सुस्पष्ट विधि (positive law) का जिक्र नहीं किया तथा नागरिक कानून का इस्तेमाल करना अधिक ठीक समझा। सामण्ड का कहना है कि, ''नये जमाने में नागरिक कानून के अर्थ को सुस्पष्ट विधि के गलत इस्तेमाल से दबा दिया जाता है।'' Jus Positum का प्रयोग मध्यकालीन विधिशास्त्रियों ने किया था और इस शब्द से उनका अभिप्राय था, वह कानून जो मानव शासन ने बनाया हो अथवा कायम किया हो। उनका यह अर्थ प्राकृतिक विधि के अर्थ से अलग था। प्राकृतिक विधि प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, उसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य उसे सिर्फ समझता है।

अत: ऐसे सभी कानून सुस्पष्ट विधि होते हैं जो प्राकृतिक विधि से अलग होते हैं। प्रत्येक से सुस्पष्ट विधि प्राकृतिक नहीं होती जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सुस्पष्ट विधि तो है, परन्तु प्राकृतिक विधि नहीं, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर किया है। नागरिक कानून के दायरे में अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं आती है क्योंकि नागरिक कानून किसी एक राज्य या एक देश का कानून होता है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि देशों के मध्य का कानून है। विधिशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय विधि को निश्चित विधि नहीं मानते।

प्रश्न -3 विधि के स्रोत के रूप में विधान के महत्व का मूल्यांकन कीजिए तथा इसके गुण-दोषो की विवेचना कीजिए !

उत्तर – विधान को अंग्रेजी में **Legislation** कहते है जो स्वयं लेजिस (Legis) और लेशियो (Latio) नामक दो लैटिन शब्दों के योग से बना है। लैटिन भाषा में लेजिस शब्द का अर्थ विधि तथा लेशियो का अर्थ प्रस्थापना करना होता है। इसलिए विधान (Legislation) का शाब्दिक अर्थ है- विधि की स्थापना या निर्माण करना ।

सामण्ड ने विधान शब्द को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(i) विधान विधि का वह स्रोत है जो सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक नियमों की घोषणा से उत्पन्न होता है।

(ii) विधान शब्द के अन्तर्गत विधि निर्माण की सभी पद्धतियाँ शामिल हैं। विधि को निर्मित करने या परिवर्द्धित अथवा संशोधित करने के लिए जो भी कार्य किये जाते हैं वे समस्त विधायी प्राधिकारी के कार्य माने जाते हैं। इस अर्थ में विधान को दो भागों में बाँटा जा सकता है (1) प्रत्यक्ष विधान (Direct Legislation), तथा (2) अप्रत्यक्ष विधान (Indirect Legislation)। प्रत्यक्ष विधान वह विधि होती है जो कि विधानमण्डल द्वारा घोषित की जाती है जबकि अप्रत्यक्ष विधान के अन्तर्गत वे समस्त प्रक्रियाएँ आ जाती हैं जिनसे विधि का निर्माण हुआ है।

(iii) विधान के अन्तर्गत विधानमण्डल की इच्छा की प्रत्येक अभिव्यक्ति सम्मिलित है चाहे उस इच्छा के द्वारा विधि के नियम बने हों या न बने हों। इस अर्थ में संसद के प्रत्येक अधिनियम को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

आस्टिन के मतानुसार, ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके फलस्वरूप विधि का निर्माण होता है, संशोधन या परिवर्तन होता है अथवा उसमें कोई नया उपबन्ध जोड़ा जाता है जो विधान के अन्तर्गत आते हैं।

ग्रे ने विधान की परिभाषा देते हुए इसे "The formal utterances of the legislative organs of the society" माना है। ग्रे द्वारा दी गयी विधान की यह परिभाषा सामण्ड की परिभाषा की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, क्योंकि औपचारिक घोषणाएँ तथा व्यवस्थापिकीय अंग विधान को विधि के अन्य स्रोतों से भिन्न प्रमाणित करते हैं।

(ii) **उच्चतम विधान** (Supreme Legislation) - उच्चतम विधान वह है जिसका उद्भव राज्य की मम्प्रभु शक्ति से होता है एवं जिसे कोई अन्य विधायी प्राधिकारी (Legislative authority) नियन्त्रित, नकारित या निरसित नहीं कर सकता है। उच्चतम विधान जिस स्रोत से बनता है उसकी उस राज्य में प्रतिद्वन्द्वी संस्था नहीं होती है जो कि उस तरह का कानून बनाने की क्षमता रखती हो। इंगलिश विधि में अधिराष्ट्रीय संसद् (Imperial Parliament) द्वारा निर्मित विधियाँ उच्चतम विधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। इंगलैण्ड में पार्लियामेण्ट सर्वशक्तिमान होती है। | उसके स्तर की कोई दूसरी संस्था नहीं होती है तथा पार्लियामेण्ट की शक्ति पर किसी भी प्रकार की विधिक रोक नहीं है। पार्लियामेण्ट द्वारा पास किये गये अधिनियमों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस तुलना में भारतीय संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियमों को उच्चतम विधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संसद् के पूरी तरह प्रभुतासम्पन्न होते हुए भी उसके द्वारा अधिनियमित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(iii) **अधीनस्थ विधान** (Subordinate Legislation) – इस प्रकार के विधान जो संसद की उच्चतम शक्ति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित होते हैं. अधीनस्थ विधान कहलाते हैं। अधीनस्थ विधान पर किसी उच्चतम विधायी प्राधिकारी का नियन्त्रण रहता संसद् द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन कार्यपालिका प्राधिकारियों को किये जाने पर । उदाहरणार्थ ऐसे प्राधिकारी जिन कानूनों का निर्माण करते हैं, उन्हें अधीनस्थ विधान की श्रेणी में रखा जा सकता है।

अधीनस्थ विधान के मुख्य रूप - सामण्ड के मतानुसार अधीनस्थ विधान के निम्नलिखित पाँच रूप हैं (1) कार्यपालिका विधान (2) उपनिवेशिक विधान, (3) नगरपालिक विधान, (4) न्यायिक विधान, (5) स्वायत्त शासन सम्बन्धी विधान

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) कार्यपालिका विधान (Executive Legisl on) – राज्य के आवश्यक अंग के रूप में कार्यपालिका की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती कार्यपालिका का मुख्य कार्य राज्य के प्रशासी विभागों का संचालन करना है। प्रशासकीय कार्यों के उचित संचालन के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका के प्राधिकारियों को विधायी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। इस प्रकार बनी कार्यपालिका विधि को संसद द्वारा किसी भी समय निरसित किया जा सकता है।

(2) **उपनिवेशिक विधान** (Colonial Legislation) – ब्रिटेन के उपनिवेशों को स्वशासन की शक्ति प्राप्त है। इसलिए ये उपनिवेश अपनी स्वशासन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ विधान का निर्माण करते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के नियन्त्रण के अधीन होते हैं। इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट उपनिवेशों द्वारा अधिनियमित विधियों को निरसित कर सकती है। उपनिवेशिक विधान के सम्बन्ध में यह सामान्य नियम कि "प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता" लागू नहीं होता है, क्योंकि उपनिवेशिक विधानमण्डलों को प्रभुता सम्पन्न विधायनी का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।

(3) **नगरपालिक विधान** (Municipal Legislation) — नगरपालिका प्राधिकरणों को उनके नियन्त्रण के अधीन स्थानीय क्षेत्रों के लिए विशेष विधियाँ बनाने की अधीनस्थ शक्ति नगरपालिका विधियों द्वारा दी जाती है। ऐसी शक्ति के अन्तर्गत नगरपालिका प्राधिकरण उपविधियाँ बनाते हैं जो अधीनस्थ विधान का ही रूप होती हैं।

(4) न्यायिक विधान (Judicial Legislation) – कभी-कभी न्यायपालिका को भी विधायी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। इस शक्ति के अन्तर्गत वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपनी निजी प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बनाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालयों को यह अधिकार शक्ति प्राप्त है कि वे अपनी प्रक्रिया एवं अपने क्षेत्राधीन सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के लिए नियम बना सकते हैं।

(5) स्वायत्त शासन सम्बन्धी विधान (Legislation by Autoncimous bodies) अनेक दशाओं में विधि द्वारा अशासकीय निकायों या व्यक्तियों को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। इस शक्ति के अन्तर्गत प्राइवेट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सम्बन्धित विषयों पर निश्चित सीमा तक अधीनस्थ विधानों का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय, रेलवे कम्पनी आदि ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW